C:\Users\wipro\Desktop\Year2019-20 /Marketting_2019 Navin-Marketing-Letter 371

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
गोकुलभाई भट्ट स्मृति भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302017
Ph.No.0141-2705197-200, Fax No.0141-2706510, 2700718,
Email : khadijpr@yahoo.co.in

क्रमांक :– के.वी.बी.एफ./विपणन/2019–20/1141 दिनांकः– 20/3/20

परिपत्र

अतिरिक्त निदेशक (हाथ करघा) (कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार) से प्राप्त पत्रांक एफ13(66)आ.उ./हा.क./सीएसपीओ/2011–12 दिनांक 04.09.12 के अनुसरण में, कार्यालय आयुक्त, उद्योग राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश कमांक एफ.13 () आ.उ./हा.का./सी. एस.पी.ओ./दर निर्धारण/13–14 दिनांक 1.7.13 (प्रति संलग्न) के साथ संलग्न उत्पादों की विशिष्टियॉ एवं दरों के परिपत्र कमांक 2/2010 (प्रति संलग्न) के अनुसार व कम में, राजकीय विभागों/उपकमों/निगमों/बोर्डो आदि के द्वारा खादी एवं पोलीवस्त्र उत्पाद राजस्थान में कार्यरत खादी संस्थाओं/समितियों से कय करने हेतु राजस्थान के खादी क्षेत्र के कत्तिनों व बुनकरों के द्वारा उत्पादित खादी व पोलीवस्त्र उत्पादों की बिकी को सवंर्द्धित करने व सम्बल देने की दृष्टि से खादी ग्रामोद्योग आयोग की प्रमाण पत्र समिति से वर्ष 2016–17 में (दिनांक 31.3.2021 तक) के लिये प्रमाण पत्र प्राप्त एवं नवीनीकरण हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग में प्रक्रियाधीन खादी संस्थाओं/ समितियों के सन्दर्भ में बोर्ड की संस्थाओं के विषय में खादी शाखा से प्राप्त अनुशंसा अनुसार, तदर्थ आधार पर संलग्न सूची में उल्लेखित बोर्ड/आयोग से सम्बद्ध खादी संस्थाओं/समितियों को, निम्नांकित निर्देशों के अध्याधीन वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये संसूचित किया जाता है।

1. खादी ग्रामोद्योग आयोग की एस.एफ.सी. से वर्ष 2019–20 हेतु सम्बन्धित खादी संस्था/समितियों के लिए अनुमोदित बजट अध्याधीन व अनुसार निर्धारित उत्पादन व बिकी लक्ष्यांक की सीमा अन्तर्गत संस्था/समिति स्वंय के द्वारा **उत्पादित खादी व पोली वस्त्र उत्पादों की** आपूर्ति ही वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जावेगी।
2. कार्यालय आयुक्त उद्योग, राजस्थान सरकार जयपुर के द्वारा जारी आदेश कमांक एफ 13 () आ.उ. /हा.क./सी.एस.पी.ओ./13.–14 दिनांक 1.7.13 के साथ संलग्न परिपत्र कमांक 3/2013 के एनेक्जर ;।ददमगनतमद्ध –2 में उल्लेखित खादी व पोलीवस्त्र उत्पादों एवं उनकी विशिष्टियॉ (मापदण्ड) तथा दरों के अनुसार ही आपूर्ति की जावेगी।
3. केता राजकीय विभाग/बोर्ड/उपकम/निगम आदि के द्वारा खादी व पोलीवस्त्र उत्पादों का कय, कार्यालय आयुक्त उद्योग विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश कमांक एफ.13 ( ) आ.उ./हा.का. /सी.एस.पी.ओ./1–14 दिनांक 1.7.13 में उल्लेखित प्रावधानों एवं आदेश बिन्दुओं के अन्तर्गत व अनुसार किया जावेगा।
4. संलग्न सूची में उल्लेखित खादी संस्थाओं/समितियों द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले खादी व पोलीवस्त्र उत्पादों की विशिष्टियों (मापदण्डों) एवं गुणवत्ता आदि की जॉच/परख स्वंय केता राजकीय विभाग/बोर्ड/निगम/उपकम द्वारा की जावेगी। इसके लिए राजस्थान खादी बोर्ड कदापि जिम्मेदार नहीं होगा।
5. संलग्न सूची में उल्लेखित खादी संस्थाओं/समितियों द्वारा उक्तानुसार दस्तावेजों की प्रतियॉ निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर या केता राजकीय विभाग/निगम/उपकम व बोर्ड आदि से कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर या आपूर्ति में अनियमितता किये जाने पर या राज्य खादी बोर्ड या खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, कोई भी किसी भी प्रकार की अन्य अनियमितता खादी संस्था/समिति के विरूद्व पाये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्बन्धित संस्था/समिति का नाम सूची से हटा दिया जावेगा।